राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल0आर0/4017/2004/कोटा

अमीन आत्मज सिकन्दर खॉ, जाति मुसलमान निवासी कंवरपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा
2– कालू आत्मज पुस्या, जाति हरिजन, निवासी दीगोद, जिला कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील/एल0आर0/4019/2004/कोटा

अमीन आत्मज सिकन्दर खॉ, जाति मुसलमान निवासी कंवरपुरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा
2– श्याम आत्मज पुस्या, जाति हरिजन, निवासी दीगोद, जिला कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

एकल–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री माधोराज सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 18.02.2020

हस्तगत द्वितीय अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 76 के राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 402/2003 शीर्षक "अमीन बनाम कालू" एवं अपील संख्या 403/2003 शीर्षक "अमीन बनाम श्यामलाल" में पारित निर्णय दिनांक 19–07–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं। दोनों अपीलों में निहित विवादित आराजी व तथ्य समान होने से दोनों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाए।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भू आवंटन सलाकार समिति के द्वारा ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 6 बीघा भूमि का पृथक–पृथक आवंटन दिनांक 20–5–1986 को श्याम पुत्र पुस्या एवं रैस्पो0 संख्या–2 कालू के पक्ष में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा अति0 जिला कलक्टर, कोटा के न्यायालय में राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम– 1970) के नियम 14 (4) के तहत पृथक पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। उक्त प्रार्थना पत्रों को अति0 जिला कलक्टर, कोटा ने

निर्णय दिनांक 25–7–2003 से अस्वीकार किया। इन निर्णयों के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय से इन अपीलों को खारिज किया है, जिनके विरुद्ध हस्तगत दोनों अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 6 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 20–5–1986 को भू आवंटन सलाकार समिति के द्वारा रैस्पो0 संख्या–2 कालू के पक्ष में किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अति0 कलक्टर ने दिनांक 25–7–2003 को खारिज किया है और इसकी पुष्टि अपीलाधीन निर्णय से करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 332 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नम्बरान 515 एवं 516 कायम किए गए हैं। आवंटी द्वारा ना तो आवंटित आराजी की किश्तें जमा कराई हैं और ना ही आवंटन से ले कर आदिनांक तक आवंटी का प्रश्नगत आवंटित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त रहा है। आवंटन के समय कमैटी का कोरम भी पूर्ण नहीं था, इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण रुप से पालना नहीं की गई है इसके विपरीत अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के पिता सिकन्दर खॉ ने दिनांक 20–5–1971 को प्रश्नगत आराजी केा नीलामी में क्रय किया था और पहले अपीलार्थी के पिता और उनके फौत होने के बाद अब अपीलार्थी का तभी से निरन्तर कब्जा चलता आ रहा है। अपीलार्थी आवंटन के पेटे राशि जमा कराने को भी तैयार है। मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना और अपीलार्थी को बेदखल किए बिना अविधिक रुप से आराजी को रैस्पो0 के पक्ष में आवंटन किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावें और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करते हुये आवंटन को निरस्त किया जाये।

5– रैस्पो0 पक्ष की ओर से योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुये नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इनके द्वारा पूर्व में भी आवंटन को चुनौती दी थी और इसके तहत माननीय मण्डल के स्तर तक से निर्णय हो चुका है और इनका प्रार्थना पत्र नियम 14–4 व अपीलें खारिज की गई हैं। अतः प्रकरण में रैस्जुडिकेटा लागू होता है। अपीलार्थी प्रकरण में किसी प्रकार से एग्रीव्ड नहीं हैं। अपीलार्थी की हैसियत मात्र अतिक्रमी की हो सकती है और अतिक्रमी को व्यथित व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में परीक्षण पर यह निर्विवाद व स्वीकृत तथ्य है कि भू आवंटन सलाकार समिति के द्वारा ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 6 बीघा भूमि के पृथक–पृथक आवंटन दिनांक 20–5–1986 को श्याम पुत्र पुस्या एवं कालू पुत्र पुस्या के पक्ष में किया गया था। अपीलार्थी द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु राज0

भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम- 1970) के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किए थे कि आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है, आवंटन कोरम में नहीं किया गया है, प्रार्थी-अपीलार्थी का आवंटित आराजी पर पूर्ण से कब्जा है। नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को अति0 कलक्टर ने इस आशय के साथ खारिज किया है कि "आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी, प्रार्थी के पिता व माता द्वारा अपीलें पृथक पृथक समय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को पेशे की हैं तथा सभी अपीलें खारिज हो चुकी हैं तथा इन अपीलों के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में श्रीमती बतूल द्वारा द्वितीय अपील पेश की जो दिनांक 10-5-1998 को इस आदेश के साथ खारिज की है कि रेस्जुडिकेटा के सिद्धान्त पर आवंटन को अब चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है।" प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन निर्णयों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में यह अभिमत पारित किया गया है कि "अपीलाण्ट की उक्त अपील चलने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट स्वयं अपील संख्या 125/93, 126/93, 127/93 में पक्षकार था और इस न्यायालय द्वारा इन अपीलों में पारित निर्णयों द्वारा रैस्पो0 को दिनांक 20-5-86 को किया गया आवंटन यथावत रखा गया था।" स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिस आवंटन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसका परीक्षण पूर्व में माननीय मण्डल तक हो चुका है और इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण को रैस्जुडिकेटा की परिधि में आना मानते हुये खारिज किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष मे जो खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की हैं उनके आधार पर अपीलार्थी द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के स्तर पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील संख्या 402/2003 शीर्षक "अमीन बनाम कालू" एवं अपील संख्या 403/2003 शीर्षक "अमीन बनाम श्यामलाल" सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य